



2026:AHC:51446-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3977/2026

वसीम @ बोस

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अभिषेक कुमार शुक्ल, अकलेश कुमार

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

- याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान रिट याचिका दिनांक 14.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे अपराध संख्या 0520 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना-झिंझाना, जनपद-शामली उत्पन्न हुआ है, को रद्द करने हेतु प्रार्थना की गई है।
- याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, याची के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और, अतएव, याची के संबंध में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
- इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना का प्रबल विरोध किया गया और प्रस्तुत किया गया कि आधार वादों अर्थात् अपराध संख्या 77 वर्ष 2024, धारा 414, 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, अपराध संख्या 12 वर्ष 2023, धारा 379, 120-बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथा अपराध संख्या 1222 वर्ष 2019, धारा 414, 420 भारतीय दंड संहिता एवं गौ वध अधिनियम की धारा 3/5/8 के अंतर्गत, के आधार पर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट याची के विरुद्ध दर्ज की गई है।
- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय, क्रिमिनल

अपील संख्या 843 वर्ष 2024, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य में
प्रतिपादित विधि के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के पश्चात, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए, और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सुसंगत विधि, ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट याची के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का प्रकटन करती है, हम इस मत के हैं कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता, अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

7. तथापि, यदि याची सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसके जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र विचार करते हुए उसका निस्तारण किया जाए।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

13 मार्च, 2026

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)